निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

प्रकरण सख्याः— 03 / 2024(अपील)
दायर दिनांकः— 08 / 08 / 2024
निर्णय दिनांकः— 16 / 12 / 2025

अनवान

1. मांगीबाई पुत्री हजारी पत्नी किशनलाल जाति गुर्जर निवासी कुआंथल हाल निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. चन्द्रबाई पुत्री हजारी पत्नी नारायण जाति गुर्जर निवासी कुआंथल हाल निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अपीलान्टगण

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. वदुबाई पत्नी उदयलाल पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. सोहनीबाई पत्नी देवा पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी जड़सा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. भागुबाई पत्नी मोती पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी आक्या तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. नेनूबाई पत्नी हजारी जाति गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. मांगीलाल पिता हजारी जाति गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 1674 दिनांक 12 / 12 / 2003 ग्राम पंचायत कुआंथल

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता के अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 1674 दिनांक 12 / 12 / 2003 ग्राम पंचायत कुआंथल के प्रस्तुत की गई कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम कुआंथल पटवार हल्का कुआंथल तहसील देवगढ़ के पूर्व खाता संख्या 455 खसरा संख्या 1098, 1438, 1494 / 2, 1495 / 2, 1498, 1501, 1506, 1509, 1511, 1512, 151, 1584, 1588, 184 / 1, 193, 194, 356 कुल किता 17 रकबा 45.06 बीघा एवं खाता संख्या 662 खसरा संख्या 1097 कुल किता 01 कुल रकबा 0.05, खाता संख्या 456 खसरा संख्या 1493 कुल किता 01 रकबा 9.08 बीघा, खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

1832/2 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा खाता संख्या 347 खसरा संख्या 1614 कुल किता 01 रकबा 0.05 बीघा, खाता संख्या 382 खसरा संख्या 1600 कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 बीघा, खाता संख्या 083 खसरा संख्या 1402 रकबा 17.13 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हजारी पिता भोला गुर्जर के नाम दर्ज थी जिसकी वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 के खाता संख्या 418 दर्ज होकर खसरा संख्या 03, 04, 1111, 1112, 1196, 1204, 1277, 1278, 1284, 1298, 1299, 1306, 1308, 1309, 1318, 1830, 899 कुल किता 16 कुल रकबा 9.7800 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 883 खसरा संख्या 1837 रकबा 0.0500 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 हिस्सा खाता संख्या 884 खसरा संख्या 1183 ,1184 कुल किता 02 रकबा 3.8100 भूमि 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलान्ट्स के पिता हजारी पिता भोला जी थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 04.07.2003 हो गया है श्री हजारी जी कि अपीलान्ट्स संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 जाईन्दा जीवित पुत्रीया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 हजारी कि पत्नि है हजारी जी कि एक अन्य पत्नि रमुबाई फौत हो चुकी है रेस्पोडेन्ट संख्या 6 हजारी जी का पुत्र है अपीलान्ट्स के पिता कि भूमी पर अपीलान्ट का हक हकूक अधिकार जन्म एवं विरासत से प्राप्त है। अर्थात कुलिया भूमि में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 व 5 का क्रमश: 1/7 – 1/7 हिस्सा होकर उक्त भूमि पर हक हकूक अधिकार स्थापित है। वर्तमान खातेदार रमुडी पत्नि हजारी का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पोडेन्ट का अपने पिता कि विरासत भूमि में अपने जन्म एवं विरासत से अधिकार है रेस्पोडेन्ट के पिता हजारी के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त आराजियात को हजारी पिता भोला गुर्जर कि थी जिसका नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत कुआथल द्वारा नामान्तरण संख्या 1674 दिनांक 12.12. 2003 को स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तरण पटवार हल्का द्वारा विरासत से भरा गया श्री हजारी जी को फोत बता उक्त भूमि हजारी जी के पुत्र मांगी लाल एवं दो पत्नियां रमुडी एवं नेनू के सम्पुर्ण हजारी जी कि भूमि का विरासत बता नामान्तरण खोल दिया गया। नामान्तरण खोले जाते समय अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट व अन्य को नही सुना गया रेस्पोडेन्ट 6 ने मन मकसूद तरीके से उक्त भूमि का नामान्तरण विरासत से खुलवा दिया गया। हजारी जी के जाईन्दा सन्ताने जिनमें 5 पुत्रीया भी जिनका कही कोई अंकन नहीं किया गया। हिन्दु उत्तराधिकारीता अधिनियम 1956 के तहत विरासत नामान्तरण मे पुत्रीयो का अधिकार पुत्र एवं पत्नि के बराबर समान अधिकार प्राप्त है जिसको हक अधिकार मय भूमि बिना सुने, नजरअन्दाज करते हुये अपीलान्ट कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज कर दी गई अन्य वारीसान का नाम विलोपित कर दिया गया उक्त नामान्तरण प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य होकर निरस्ती योग्य है। नामान्तरण स्वीकृत करने एव सुनने के समय अपीलान्ट को ग्राम पचायत ने न तो कोई सुचना दी एव न ही अपीलान्ट को कोई सुना गया नामान्तरण स्वीकृत एव अस्वीकृत कि सुचना भी अपीलान्ट को नहीं दी ग्राम पंचायत ने मन मकसूद तरीके से अपीलान्ट का नमान्तरण जो गलत तरीके से भरा गया एवं स्वीकृत कर दिया गया जो ग्राम पंचायत एवं पटवार हल्का ने कही भी विरासत के वारीसानो कि जांच नही की। अपीलान्ट्स को वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जि. राजसमन्द (राज.)

राजस्व रेकार्ड कि नवीन सेटलमेंट के बाद जमाबन्दी लेने पर दिनांक 31.05.2024 को जानकारी हुई कि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट कि भूमी मेंय अपीलान्ट का नाम दर्ज नही है। भूमि मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज है एवं मृतक माता छगुडी के नाम दर्ज है। तब अपीलान्ट द्वारा जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेज पुर्व जमाबन्दी एव नामान्तरण कि नकल ली तब पता लगा कि नामान्तरण खोले जाते समय उक्त गलती राजस्व अधिकारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा हुई। उक्त नामान्तरण को निरस्त कराये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र आज न्यायालय में प्रस्तुत है यही वाद हेतुक है। हम अपीलान्ट्स को दिनांक 31.05.2024 को नामान्तरण नकल प्राप्त करने के बाद यह जानकारी हुई तब से उक्त जानकारी होने से उक्त अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलगसे मियाद माफी नामान्तरण खुलने से जानकारी तक का प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट कि अपील स्वीकार फरमा नामान्तरण संख्या 1674 दिनांक 12.12.2003 ग्राम पंचायत कुआथल को निरस्त करते हुये उक्त वादग्रस्त आराजियात कॉलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम कुआथल पटवार हल्का कुआथल भु अभिलेख क्षेत्र कुआथल तह० देवगढ माफिक सजरा हजारी जी के समस्त वारीसान के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से लगायत 06 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 07 भूमिधारी होने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

प्रकरण में धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

मियाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर0आर0डी0 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत होता है तो उसे केवल मियाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रमाणित किया गया है कि–

Limitation Act, 1963, S.5 Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case Legality of Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार मियाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। ये यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मांगे। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

नामान्तरण के प्रावधानः—

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1):— ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसे तथ्य की जानकारी होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो तथा निर्विवाद मामलों में यदि उत्तराधिकार, अन्तरण या अन्य अर्जन हुए प्रतीत हो तो उन्हें वार्षिक रजिस्टरों में अभिलिखित करेगा।

इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 का विश्लेषण किया जाना समीचीन है:—

धारा 40 के अनुसारः— आसामियों का उत्तराधिकार

Succession to tenants When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death.

"जब आसामी अन्तिमेच्छा —पत्र छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके भूमि—क्षेत्र में उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवतरित होंगे जिसके की वह अपनी मृत्यु के समय अधीन था।"

उक्त प्रावधानों के तहत आक्षेपित नामान्तरण संख्या 1674 निर्णय दिनांक 12/12/2003 का अवलोकन किया जाना उचित होगाः—

उक्त नामान्तरकरण विरासती दर्ज हुआ है, विरासती नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेखित नियम 1957) के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है:— उक्त नियमों में नियम 119 से नियम 144 तक विस्तृत विवरण दिया गया है:—

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

नियम 121 सामान्य हिदायतें:–

उक्त नियम में नामान्तरणकरण दर्ज करते समय आवश्यक कार्यवाही/प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और सम्बन्धित हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई/बयान इत्यादि का विवरण दिया गया है–

उक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जैसा कि अपीलान्ट ने अपील मीमो में यह अंकित किया है कि मृतक हजारी पिता नोला के वारिसान मे पुत्र व पत्नी के साथ स्वयं पुत्रियां भी सम्मिलित है। इसलिए उसका पक्ष सुने बिना मृतक पिता की भूमि में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है जबकि विरासती नामान्तरकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पुत्रियों को भी पुत्र में भांति समान अधिकार प्रदान किए गए है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस के उपरान्त हमारे द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर मनन किया गया कि ग्राम पंचायत कुआंथल द्वारा आक्षेपित नामान्तरण संख्या 1674 निर्णय दिनांक 12/12/2003 में नामान्तरणकरण दर्ज करने के संबंध में दिए गए विधिक प्रावधान एवं कानूनी दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ ग्राम पंचायत कुआंथल द्वारा त्रुटि/भूल कारित की गई है। अतः आपेक्षित नामान्तरण संख्या 1674 निर्णय दिनांक 12/12/2003 को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कुआंथल पटवार मण्डल कुआंथल के नामान्तरण संख्या 1674 निर्णय दिनांक 12/12/2003 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मृतक हजारी पिता नोला के विधिक वारिसान की जांच की जाकर समस्त हितबद्ध पक्षकारान को सुन कर बाद जांच नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

16/12/25

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला राजसमन्द (राज.)